



EF 415/-

न्यायालय- माननोय राजस्व मण्डल, मोर्पो ग्रामियर

प्रकरण क्रमांक /2006/निगरानी

निगरा 208-मक/06

मुन्ना पुत्र बेताल सिंह यादव, निवासो
ग्राम पलोथर, पूर्व तहसील कैरा वर्तमान
तहसील व जिला दतिया, मोर्पो

— प्रार्थी

किछु

मोर्पो शासन द्वारा कोडकटर दतिया
[वर्तमान] पूर्व कोडकटर जिला शिवपुरी, मोर्पो

— प्रतिप्रार्थी

पुनरोक्त आवेदन पत्र अंतर्गत पारा 50 म.प्र.भ.रा.संहिता 1959
किछु निर्णय श्रो एम.के.वाढोय अपर आयुक्त ग्रामियर संभाग
ग्रामियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/2000-2001 निगरानी के
तहत दिनांक 12.12.2005 को पारित किया गया।

श्रोमानजो,

प्रार्थी द्वारा पुनरोक्त निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

अ- प्रकरण के तथ्य -

- 1- यह कि, तेहसील न्यायालय कैरा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में ग्राम उद्घवां को भूमि सर्वे क्रमांक 2928 में से रकवा 2 हेक्टेयर पर मोर्पो द्वेष रहित भूमि पर छछ भूमि स्वामी के अधिकार प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के तहत प्रकरण क्रमांक 116/90-91 अ-19 से दिनांक 05.06.1991 से भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये।

- 2- यह कि, पार्थी को उपरोक्त भूमि पर उत्तीर्ण अवासों का अधिकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R 208/I/८६ जिला ग्वालियर

2 मई ८८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
10.३.८६	<p>आवेदन सूचित है। अन्यथा मासिनिय पेंडल अठि-उपरिक्त मामा जावे।</p> <p>c.f. 17.५.८६</p>	<p>अन्यथा R द्वारा</p>
12.५.८६	<p>आवेदन सूचित है।</p> <p>अन्यथा मासिनिय पेंडल अठि-उपरिक्त मामा जावे।</p> <p>c.f 14.७.८६</p>	<p>अन्यथा R द्वारा</p>
14.७.८६	<p>आवेदन अठि-R औं०८१० कीजाइये अनुपायित। उपरिक्त प्र तीक्ष्ण वार्ता उपरिक्त जावे। ५८३ अठि उपरिक्त नहीं। तत्त्व तात्परी है। उक्त वार्ता अनुपायित है।</p>	<p>अठि-R द्वारा</p>